न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
दिनेश कुमार पुत्र हकमाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–सरतरा, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.ग्राम पंचायत, सरतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सरतरा, तह. व जिला– सिरोही
2.केवाराम पुत्र पोसारामजी, जाति–रेबारी, निवासी–सरतरा, तहसील व जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 25/2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अप्रार्थी संख्या–2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 21 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम पुत्र पोसाराम, जाति– रेबारी, निवासी– सरतरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 08.9.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सरतरा की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी केवाराम पुत्र पोसाराम, जाति– रेबारी, निवासी– सरतरा की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत सरतरा की आबादी भूमि में प्रार्थी के कब्जे हक अधिकार का पुश्तैनी मकान व भूखण्ड आया हुआ है जिसकी चतुर्दशी उत्तर में पडत भूमि, दक्षिण में तेजाराम का मकान, पूर्व में पडत भूमि व पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा है तथा इसका नाप उत्तर–दक्षिण 90 फीट व पूर्व–पश्चिम 30 फीट कुल 2700 वर्गफीट है। उक्त चतुर्दशी व नाप के मध्य स्थित भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी केवाराम के पक्ष में जारी किया गया है, जबकि इस भूखण्ड पर पट्टा जारी करने के समय से पूर्व का ही प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा व हक अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा मौके की जांच किये बिना ही प्रार्थी के हक अधिकार के भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी केवाराम के नाम से जारी किया है जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी केवाराम को उक्त भूखण्ड का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर जारी किया है जिससे यह स्पष्ट है कि पट्टा जारी करते समय इस भूखण्ड पर अप्रार्थी केवाराम का कब्जा नहीं था तथा उक्त नियम 158 के तहत पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक है कि जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा रहा है व भूखण्ड मौके पर खाली होना चाहिये। उक्त भूखण्ड पर पूर्व से प्रार्थी का विगत 50 वर्षो से पुश्तैनी कब्जा अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना

.....पेज नं. 2 पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

ही व विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अप्रार्थी केवाराम के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी को अप्रार्थी केवाराम के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी तब हुई जब अप्रार्थी केवाराम भूखण्ड का कब्जा लेने आया। जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी केवाराम को जारी किया है उस भूखण्ड पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है तब अप्रार्थी केवाराम ने ग्राम पंचायत, सरतरा में दिनांक 13.05.2022 को इस आशय का एक सहमति पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी केवाराम को जारी पट्टा निरस्त किये जाने पर अप्रार्थी केवाराम को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी केवाराम को जारी किया है जबकि उक्त भूखण्ड पर कभी भी अप्रार्थी केवाराम का निवास नहीं रहा है न ही अप्रार्थी केवाराम का कोई मकान उक्त भूखण्ड पर निर्मित है। वर्तमान में भी उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी की बाउण्ड्री वाल निकाली हुई है तथा उसमें मकान बना हुआ है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम 158 में विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी केवाराम द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी केवाराम के उक्त नियम 158 के तहत पट्टा जारी करवाने के लिए पात्र होने के कारण ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है परन्तु पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड के मौके की जांच नहीं की जिससे वर्तमान में यह स्थिति पैदा हुई है। यदि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम को किसी और जगह पर भूखण्ड आवंटित किया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी केवाराम वर्तमान में पावापुरी में रहकर व्यवसाय करता है इसलिए अप्रार्थी केवाराम को भी पहा जारी करते समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस जगह का आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी केवाराम को किया जा रहा है उस जगह पर पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा व पुराना मकान बना हुआ है, इसलिए अप्रार्थी केवाराम ने भी उस समय इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की परन्तु अब जानकारी में आने पर अप्रार्थी केवाराम भी इस पट्टे को निरस्त करवाने के लिए तैयार है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया था एवं न ही किसी भी प्रकार के कोई नोटिस प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार को जारी किये गये है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 08.9.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सरतरा के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया है परन्तु तत्कालिन ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी केवाराम को पट्टा जारी करते समय वास्तविक मौके की स्थिति की जानकारी थी या न हीं इस बात की जानकारी वर्तमान ग्राम पंचायत है। अप्रार्थी केवाराम अपने मजदूरी के लिए पावापुरी मे निवास कर रहा है एवं ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी केवाराम से कोई मेल मिलाप नहीं किया है। ग्राम पंचायत, सरतरा को इस तथ्य की जानकारी नही है कि इस भूखण्ड पर कितने वर्षों से प्रार्थी का कब्जा है परन्तु मौके पर वर्तमान में प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा अप्रार्थी केवाराम व प्रार्थी दिनेश कुमार ने ग्राम पंचायत में इस पट्टे को खारिज करने हेतु सहमति पत्र पेश कर इस पट्टे को खारीज कर किसी अन्य जगह पर भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया, परन्तु ग्राम पंचायत को पट्टे को खारिज करने का हक अधिकार नहीं होने से ग्राम पंचायत ने इस न्यायालय के जरिये पट्टा खारिज करवाने की हिदायत दी थी। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी केवाराम को इस पट्टे को खारिज करने में आपत्ति नहीं है तो ग्राम पंचायत, सरतरा को भी यदि उक्त पट्टा इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है [illegible] केवाराम भी गरीब परिवार से तालुक रखता है तथा ग्राम सरतरा का मूल निवासी है बावजूद इसके ग्राम सरतरा में अप्रार्थी केवाराम का कोई भूखण्ड नहीं है एवं [illegible] श्रेणी में आता है एवं नियम

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

158 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी करवाने के लिए पात्रता रखता है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी केवाराम के सहमत होने से उक्त पट्टा संख्या 19 को खारिज किया जाता है तो ग्राम पंचायत, सरतरा को कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी केवाराम के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सरतरा के द्वारा अप्रार्थी केवाराम को नियम 158 के तहत् पट्टा जारी किया है परन्तु ग्राम पंचायत को अप्रार्थी केवाराम को पट्टा जारी करते समय वास्तविक मौके की स्थिति की जानकारी नही थी एवं जिस भूखण्ड का अप्रार्थी केवाराम को पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्ड पर प्रार्थी दिनेश कुमार का मकान बना हुआ है, लेकिन इसमें अप्रार्थी केवाराम की कोई गलती नहीं है क्योंकि अप्रार्थी केवाराम अपने मजदूरी के लिए पावापुरी में निवास कर रहा है एवं पट्टा जारी होने से पूर्व मौके पर नहीं गया होने के कारण अप्रार्थी केवाराम को भी इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी केवाराम को इस तथ्य की जानकारी नही है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का कितने वर्ष पुराना कब्जा है, परन्तु मौके पर वर्तमान में प्रार्थी का मकान बना हुआ है एवं अप्रार्थी केवाराम को भी इस बात की जानकारी मई 2022 में मौके पर कब्जा लेने जाने पर हुई है जब अप्रार्थी केवाराम को इस बात की जानकारी हुई तो अप्रार्थी केवाराम ने ग्राम पंचायत में सहमति पत्र पेश कर इस पट्टे को खारीज कर किसी अन्य जगह पर भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया। यदि इस न्यायालय द्वारा पट्टे को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी केवाराम को कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी केवाराम भी गरीब परिवार से तालुक रखता है तथा ग्राम सरतरा का मूल निवासी हैं, बावजूद इसके ग्राम सरतरा में अप्रार्थी केवाराम के कोई भूखण्ड नहीं है एवं भूमिहीन की श्रेणी में आता है तथा नियम 158 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी करवाने के लिए पात्रता रखता है। अतः अप्रार्थी केवाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 08.9.2018 को निरस्त कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी केवाराम भूखण्ड आवंटन के लिए पात्र होने के कारण ग्राम पंचायत सरतरा को यह निर्देश दिये जावे कि अप्रार्थी केवाराम को अन्यत्र भूखण्ड का आवंटन करे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम पुत्र पोसाराम जी, जाति— रेबारी, निवासी— सरतरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन कर पट्टा संख्या 19 दिनांक 08.9.2018 को जारी किया गया है। अप्रार्थी केवाराम को जिस भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन कर पट्टा संख्या 19 दिनांक 08.9.2018 को जारी किया गया है उस भूखण्ड की चतुर्दशी उत्तर में पडत भूमि, दक्षिण में पोसीदेवी पत्नि तेजाराम का मकान, पूर्व में पडत भूमि व पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा है तथा इसका नाप उत्तर—दक्षिण 90 फीट व पूर्व—पश्चिम में 30 फीट कुल 2700 वर्गफीट है।

प्रार्थी दिनेश कुमार का मुख्यतः कथन है कि "अप्रार्थी केवाराम को जिस भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन का पट्टा जारी किया गया है वह भूखण्ड प्रार्थी दिनेश कुमार के पुश्तैनी कब्जे का है जिसके मौके पर प्रार्थी दिनेश कुमार का मकान बना हुआ है तथा चार दिवारी का निर्माण किया हुआ है।" अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड के मौके पर प्रार्थी दिनेश कुमार का कब्जा होने एवं प्रार्थी दिनेश कुमार का मकान बना होने का कथन करते हुए प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करने में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त [illegible] है। प्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा निगरानी आवेदन के साथ मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर चार [illegible] किया हुआ है। प्रकरण में

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी केवाराम द्वारा राशि रुपये 50/— (पचास रुपये) के गैर न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का सहमति पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि "उक्त पट्टा गलती से मुझ केवाराम के नाम से बन गया है जबकि उक्त भूखण्ड पर अन्य किसी का कब्जा है एवं उक्त पट्टे को पंचायत अथवा न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो मुझ केवाराम को कोई आपत्ति नही है बल्कि मेरी पूर्ण सहमति है।" इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने से पूर्व प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड के मौके की जांच नही की गई है। जबकि उभय पक्ष के कथनों के अनुसार प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड के मौके पर प्रार्थी दिनेश कुमार कब्जा है व मकान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी केवाराम पुत्र पोसारामजी, जाति— रेबारी, निवासी— सरतरा के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 08.9.2018 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested